न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 96/2008 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री कानसिंह पिता हिरसिंह जी राजपूत निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री भेरूसिंह पिता गुमानसिंह जी राजपूत निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री मकनसिंह पिता हिरसिंह जी राजपूत निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री दूल्लेसिंह पिता हिरसिंह जी राजपूत निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
3. **मृतक श्री भूरसिंह जी के बजाय** :–
   - 3/1– श्री अमरसिंह पिता स्व. भूरसिंह जी राजपूत निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
   - 3/2– श्रीमती रूपा कुंवर पुत्री स्व. भूरसिंह पत्नी कालूसिंह राजपूत निवासी अमरोदा पोस्ट ढोल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
4. श्रीमती मनुबाई पुत्री हिरसिंह जी पत्नी भंवरसिंह जी राजपूत निवासी आउणी का खेड़ा पोस्ट मोखल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
5. **मृतक श्री केसरसिंह के बजाय** :–
   - 5/1– श्रमती मालीबाई विधवा श्री केसरसिंह जी राजपूत निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
   - 5/2– श्री हिम्मतसिंह पिता स्व. केसरसिंह जी राजपूत निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
   - 5/3– श्रीमती इन्द्राकुंवर पिता स्व. केसरसिंह पत्नी श्री भवानीसिंह राजपूत निवासी विसमा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
6. श्रीमती हन्जा बाई पुत्री गुमानसिंह जी राजपूत विधवा भदेसिंह जी राजपूत निवासी सूरजगढ़ पोस्ट मोखल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)

7. श्रीमती लच्छुबाई पुत्री गुमानसिंह जी पत्नी लक्ष्मणसिंह जी राजपूत निवासी भानपुरा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
8. श्रीमती दाखीबाई पुत्री गुमानसिंह जी पत्नी भंवरसिंह राजपूत निवासी लियो का गुड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
9. श्रीमती पुष्पाबाई पुत्री गुमानसिंह जी पत्नी केसरसिंह जी राजपूत निवासी वरड़ा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
10. श्री सोहनसिंह पिता वेनसिंह जी राजपूत निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
11. श्री चतरसिंह जी पिता वेनसिंह जी राजपूत निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
12. श्री रोड़सिंह पिता वेनसिंह जी राजपूत निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
13. श्रीमती चम्पाबाई पुत्री वेनसिंह जी राजपूत निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
14. श्री भंवरसिंह पिता प्रेमसिंह जी राजपूत निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
15. **मृतक श्री नवलसिंह जी राजपूत (नाम हटाया)**
16. **मृतक श्री जोधसिंह जी राजपूत के बजाय** :–

    16/1– श्रीमती मनुकंवर पुत्री स्व. जोधसिंह जी पत्नी श्री भेरूसिंह जी राजपूत निवासी कठार तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)

    16/2– श्री प्रतापसिंह पिता स्व. जोधसिंह जी राजपूत निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)

    16/3– श्री गणेशसिंह पिता स्व. जोधसिंह जी राजपूत निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)

    16/4– श्रीमती पपीकुंवर पिता स्व. जोधसिंह जी पत्नी श्री गोपाल सिंह जी राजपूत निवासी पटीयार तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर

    16/5– श्री मिठूसिह पिता पिता स्व. जोधसिंह जी राजपूत निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)

17. श्रीमती पेपलीर बेवा सुरा जी मेघवाल निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
18. श्री मानिया उर्फ मांगीलाल पिता सुरा जी मेघवाल निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
19. श्री धूला पिता सूरा जी मेघवाल निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
20. **<u>मृतक श्री वना जी मेघवाल के बजाय</u>** :–
    - 20/1– श्री मांगीलाल पिता वना जी मेघवाल निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
    - 20/2– श्री गणेश पिता स्व. वना जी मेघवाल निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
    - 20/3– श्री डालू पिता स्व. वना जी मेघवाल निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
    - 20/4– श्री सोहन पिता स्व. वना जी मेघवाल निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
21. श्री राज्य जरिये जिलाधीश उदयपुर

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी गिर्वा दिनांक 30–11–2007 प्रकरण
संख्या 67/2007 राजस्व वाद

————

उपस्थित :–1– श्री कन्हैयालाल चोर्डिया अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री कुन्दनसिंह सोनी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–11,12
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट सं.–21

————/————

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 21–05–2018</u>**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादी द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत

धारा–88, 188, 53 एवं 53–ए का पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 16 की मोरूषी जायदाद ग्राम तरपाल में वादपत्र के संलग्न परिशिष्ठ **"अ"** अनुसार स्थित है। पक्षकारान का सजरा वादपत्र की कलम संख्या–2 में वर्णित हैं। भूमियां मूल पुरूष पदमसिंह जी की होकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 16 को प्राप्त हुई एवं सजरा अनुसार उनका हक होकर संयुक्त रूप से काबिज है। विवादित भूमियों में वादी संख्या–1 व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा है। वादी संख्या–2 एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 9 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 10 से 13 तक का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 14 से 16 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा है। अभी भू–प्रबन्ध के दौरान प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के परोक्ष में बिना भूमि का का कानूनन विभाजन करवाये पृथक–पृथक स्वयं के खाते में दर्ज करवा दी। जिसे वादीगण की जानकारी में नहीं था तथा भू–प्रबन्ध विभाग इसके लिए अधिकृत भी नहीं था। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रतिवादीगण से मिलकर कृछ भूमियां प्रविादी संख्या 17 से 20 के नाम दर्ज करवा दी, जबकि उनका इस भूमि में कोई हित निहित नहीं है तथा हस्तान्तरिती केता भी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 17 से 20 के नाम हाल आराजी नंबर 267, 269, 263, 265 का अंकन विधि विरूद्ध किया गया है। जबकि ये भूमियां वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 16 की पैतृक संपत्ति है। भू–प्रबन्ध की उक्त त्रुटि के आधार पर भूमियों का खुर्द–बुर्द होना सम्भावित है। अतएव विवादित भूमियों में उपरोक्त वर्णानानुसार घोषणा करते हुए विधिक विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा व उचित विधिक अनुतोष दिलवाया जाय।

प्रकरण में प्रतिवादीगण रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होकर साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.–1 कानसिंह के बयान लेकर बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 30–11–2007 से वादी का वाद साबित नहीं होने से खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 30–11–2007 से रूष्ट होकर वादी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 31–1–2008 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–11, 12 की और से अधिवक्ता श्री कुन्दनसिंह सोनी ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 21 की और से राजकीय अधिवक्त उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई दौराने कार्यवाही कुछ रेस्पोन्डेन्ट की मृत्यु हो जाने के कारण उनके कायम मुकाम संस्थित किये जाकर संशोधित अपील शिर्षक रेकार्ड पर लिया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। भूमियां मोरूषी थी तथा विभाजन वादी अपीलान्ट की जानकारी बिना, भू–प्रबन्ध विभाग की सक्षमता बिना किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 17 से 20 का नाम निराधार दर्ज किया गया। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई। रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादी का कोई खण्डन उपलब्ध नहीं था। वादी अपीलान्ट के मौखिक बयान वादी के वाद की ताईद करते थे।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि वादी का वाद मूल रूप से इस आधार पर पेश किया गया है कि भूमियां मूल पुरूष पदमसिंह के समय की होकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 16 की मोरूषी है। किसी भी वाद को सिद्ध किये जाने का दायित्व वादी स्वयं पर होता है, यानि वाद को स्वयं अपने पेरों पर खड़ा होना चाहिए। इस प्रकरण में हालांकि प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट अनुपस्थित है। परन्तु वादी अपीलान्ट को यह सिद्ध करना था कि भूमियां पदमसिंह के समय से चली आ रही हो तथा हस्ब सजरा वादपत्र पक्षकारान का हक हो। आश्चर्यजनक रूप से वादी द्वारा न तो पदमसिंह के समय से भूमियों का होने का कोई रेकर्ड पेश किया है, न ही भू–प्रबन्ध

विभाग द्वारा भूमियों का विभाजन किये जाने की कोई साक्ष्य पेश की गई है। वादी अपीलान्ट के मौखिक बयानों से तथा सजरे के कारण भूमियों का मोरूषी पदमसिंह के समय से होना माने जाने का कोई तारकीक व विधिक आधार नहीं है। विवादित भूमियों का भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा विभाजन किये जाने की भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी अपीलान्ट का वाद साबित नहीं होने के आधार पर खारिज किये जाने के निर्णय में हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनंक 30–11–2007 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21–05–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

1–श्री कानसिंह पिता हिरसिंह जी राजपूत निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर अन्य–1

बनाम

1–श्री मकनसिंह पिता हिरसिंह जी निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर व अन्य तथा सरकार

अपील नं0 **96/2008** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **गिर्वा .....** मुकाम मुक्र्खे.....**30**.....माह.....**11**..... **2007**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**21**..... माह .....**05**..... सन् **2018** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी....**श्री कन्हैयालाल चोर्डिया**..... मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कुन्दनसिंह सोनी**..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–11–2007 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**21**..... माह ...**05**..... **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।